छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 1138/2007

1. **श्री राजकुमार मिश्रा,** - *अपीलार्थी*
हल्दीबाड़ी, चिरमिरी,
जिला- कोरिया (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी* - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय थाना प्रभारी,
कोतवाली, अंबिकापुर,
जिला- सरगुजा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 02 जुलाई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजकुमार मिश्रा ने जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, अंबिकापुर के समक्ष दिनांक 01.11.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.11.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील के बाद उन्हें दिनांक 18.11.2007 को जानकारी प्रदाय की गई, किन्तु वह जानकारी त्रुटिपूर्ण थी, जिसके कारण उनके द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 26.11.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 11.04.2008 को की गई । प्रकरण में त्रुटिपूर्ण जानकारी की बात कहे जाने से थाना प्रभारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था तथा सही जानकारी 15 दिवस में नि:शुल्क दिये जाने के निर्देश भी दिये गये थे ।

3/ प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 30.06.2008 को रखी गई थी, जिसमें अपीलार्थी उपस्थित हुये थे, किन्तु प्रति अपीलार्थी उपस्थित नही हुये, अत: उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी की सुनवाई की गई । प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपने अवयस्क पुत्र का किया गया चिकित्सकीय परीक्षण, रिपोर्ट एवं इससे संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉं चाही थी, किन्तु प्रति अपीलार्थी द्वारा जो जानकारी दी गई है, वह

इससे संबंधित न होकर उनकी पत्नि श्रीमती रीता चौबे के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी गई है और पुत्र की दुर्घटना के मामले में चोट आने और ठीक होना बताया गया है, किन्तु पुत्र के ऊपर किये गये शारीरिक प्रताड़ना आदि के बारे में की गई शिकायत के बारे में क्या जांच की गई और उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है अथवा नही तथा जांच का क्या परिणाम रहा, इसके बारे में बारे में जो जानकारी माँगी गई थी, वह स्पष्ट जानकारी नही दी गई है । चूंकि सुनवाई के समय भी प्रति अपीलार्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नही किया गया है और अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए भी उपस्थित नही हुये है, अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर जन सूचना अधिकारी, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, अंबिकापुर के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिए अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 5000/- रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अब चाही गई सही एवं स्पष्ट जानकारी उन्हें 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान किया जावे । प्रकरण में त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 1000/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त